

Roll No. : .....

Total No. of Questions : 11 ]

[ Total No. of Printed Pages : 4

# SLB3027

## LL.B. (3rd Year) Suppl. Examination, 2021 THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 1973, JUVENILE JUSTICE ACT, 2015 AND PROBATION OF OFFENDERS ACT, 1958

Paper - 3.2

Time : 1½ Hours ]

[ Maximum Marks : 100

### Section-A

(Marks : 2 × 10 = 20)

**Note :-** Answer all *ten* questions (Answer limit 50 words). Each question carries 2 marks.

(खण्ड-अ)

(अंक : 2 × 10 = 20)

**नोट :-** सभी दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 50 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

### Section-B

(Marks : 7 × 5 = 35)

**Note :-** Answer all *five* questions. Each question has internal choice (Answer limit 200 words). Each question carries 7 marks.

(खण्ड-ब)

(अंक : 7 × 5 = 35)

**नोट :-** सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए (उत्तर-सीमा 200 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

### Section-C

(Marks : 15 × 3 = 45)

**Note :-** Answer any *three* questions out of five (Answer limit 500 words). Each question carries 15 marks.

(खण्ड-स)

(अंक : 15 × 3 = 45)

**नोट :-** पाँच में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 500 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है।

BI-1691

( 1 )

SLB3027 P.T.O.

## Section–A

(खण्ड–अ)

**Note** :- Answer all *ten* questions (Answer limit **50** words). Each question carries **2** marks.

सभी दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर–सीमा **50** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **2** अंक का है।

1. (i) Define Warrant Case.  
वारंट मामले की परिभाषा दीजिए।
- (ii) Define Judicial Proceeding.  
न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा दीजिए।
- (iii) Explain the Directorate of Prosecution.  
अभियोजन निदेशालय की व्याख्या कीजिए।
- (iv) Define Offence.  
अपराध की परिभाषा दीजिए।
- (v) Define Victim.  
पीड़ित की परिभाषा दीजिए।
- (vi) Define Child Conflict with Law.  
विधि विरुद्ध किशोर की परिभाषा दीजिए।
- (vii) Explain the Special Home.  
विशेष गृह की व्याख्या कीजिए।
- (viii) Define Probation Officer.  
परिवीक्षा अधिकारी की परिभाषा दीजिए।
- (ix) Define Juvenile.  
किशोर की परिभाषा दीजिए।
- (x) Explain the First Information Report.  
प्रथम सूचना रिपोर्ट की व्याख्या कीजिए।

## Section-B

(खण्ड-ब)

**Note :-** Answer all *five* questions. Each question has internal choice (Answer limit **200** words). Each question carries **7** marks.

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (उत्तर-सीमा **200** शब्द) प्रत्येक प्रश्न **7** अंक का है।

2. Explain the Provisions Relating to sentence in cases of conviction of several offences at one Trial.

एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश सम्बन्धी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

*Or*

(अथवा)

Explain certain offences public give to information.

कुछ अपराध जिनकी इतिला जनता द्वारा दी जायेगी व्याख्या कीजिए।

3. Explain Procedure of arrest and duties of officer making arrest.

गिरफ्तारी की प्रक्रिया व गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए।

*Or*

(अथवा)

What are the provisions of prosecution for contempt of lawful authority of Public Servants for offences against Public Justice and for the offences relating to documents given in evidence ?

लोक न्याय विरुद्ध अपराधों के लिए व साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान हेतु अभियोजन संबंधी प्रावधान क्या हैं ?

4. Explain the Power of Magistrate to stop proceedings in certain cases.

कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति की व्याख्या कीजिए।

*Or*

(अथवा)

What are the provisions of compensation for accusation without reasonable cause ?

उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर संबंधी प्रावधान क्या हैं ?

5. Explain the Provisions Relating to exclusion of time in certain cases.

कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन सम्बन्धी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

*Or*

(अथवा)

Person once convicted or acquitted not to be tried for same offence. Explain.

एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना, की व्याख्या कीजिए।

6. Discuss the power of children court under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बालक न्यायालय की शक्तियों की विवेचना कीजिए।

*Or*

(अथवा)

What are the provisions relating to variations of conditions of Probation ?

परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार से संबंधी प्रावधान क्या हैं ?

**Section-C**

(खण्ड-स)

**Note :-** Answer any *three* questions out of five (Answer limit **500** words). Each question carries **15** marks.

पाँच में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा **500** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **15** अंक का है।

7. Explain the Territorial Divisions of Criminal Courts.  
दण्ड न्यायालयों का प्रादेशिक खण्ड की व्याख्या कीजिए।
8. Describe Jurisdiction of the Courts in Inquiries and Trials.  
जाँच व विचारण में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बताइए।
9. Discuss the Procedure to be followed by Court of Sessions.  
सेशन न्यायालय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।
10. Explain the Provisions Relating to Reference and Revision.  
निर्देश व पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
11. What do you mean by Probation and who may be appointed as Probation Officer ?

परिवीक्षा से आप क्या समझते हैं एवं परिवीक्षा अधिकारी किसे नियुक्त किया जा सकता है ?